"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 14, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1/03/2012/एक/14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री संजय पिल्ले भा.पु.से. (1988), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ई.ओ.डब्ल्यू. एवं ए.सी.बी., रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छसबल (सशस्त्र बल प्रशिक्षण सहित) एवं योजना प्रबंध के पद पर पदस्थ करता है.

श्री संजय पिल्ले द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, योजना प्रबंध का पदभार ग्रहण करने पर श्री गुरजिंदर पाल सिंह (भापुसे-1994), पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज एवं पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा एवं योजना प्रबंध, केवल पुलिस महानिरीक्षक, योजना प्रबंध के पदभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

2. श्री मुकेश गुप्ता भा.पु.से. (1988), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता एवं एस.आई.बी., रायपुर से एस.आई.बी. का प्रभार वापस लेतु हुए उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ई.ओ.डब्ल्यू. एवं ए.सी.बी., रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

3. श्री आर. के. विज भा.पु.से. (1988), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छसबल, एस.टी.एफ., नक्सल विरोधी अभियान, सी.सी.टी.एन.एस. व दूरसंचार से छसबल व दूरसंचार का प्रभार वापस लेते हुए उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.आई.बी., रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

4. श्री अरुण देव गौतम (भापुसे-1992), पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, भर्ती, रेल्वे एवं यातायात, रायपुर को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ईमिल लकड़ा, भा.प्र.से. (2004) संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 1-2/2014/1/5.—राज्य शासन, एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस" के अवसर पर शनिवार, दिनांक 01 नवम्बर, 2014 को छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं में "सामान्य अवकाश" घोषित करता है.

2. यह अवकाश बैकों एवं कोषालयों के लिए लागू नहीं होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 4-2/2014/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबोवेजा, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 22 सितम्बर, 2014 से 26 सितम्बर, 2014 (05 दिवस) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पश्चात् (शनिवार, रविवार एवं दशहरा छुट्टी) का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 7-24/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बी. पी. नोन्हारे, मुख्य वन संरक्षक (इको टूरिज्म), छत्तीसगढ़ को दिनांक 10-11-2014 से 14-11-2014 तक कुल 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 08, 09-11-2014 का पूर्ववर्ती तथा दिनांक 15, 16-11-2014 का पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नोन्हारे, मुख्य वन संरक्षक (इको टूरिज्म), छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री नोन्हारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नोन्हारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-74/2003/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ए. के. तिवारी, भा.व.से. को दिनांक 24-11-2014 से 12-12-2014 तक कुल 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ए. के. तिवारी, भा.व.से. को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 31011/4/2008-Estt. (A) दिनांक 23-09-2008 के अनुसार अधिकतम 10 दिवस का अर्जित अवकाश नगदीकरण (समर्पित) करने की अनुमति दी जाती है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त समर्पित अवकाश का समायोजन, अधिकारी के अवकाश लेखा में किया जाकर आवश्यक प्रविष्टियां उनकी सेवा-पुस्तिका में कर दी गई है.

4. अवकाश से लौटने पर श्री तिवारी, वन संरक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

5. अवकाश अवधि में श्री तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-72/2001/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नांकित उप वन संरक्षक स्तर के भारतीय वन सेवा अधिकारियों को वन संरक्षक, वेतनमान PB 4: 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन 8900 के पद पर पदोन्नत करता है :—

1. श्री जे. के. कटकवार (1999)
2. श्री देवाशीष बैनर्जी (1999)
3. श्री आशुतोष मिश्रा (1999)

नया रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-27/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कौशलेन्द्र सिंह, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. अराज.), छत्तीसगढ़ को दिनांक 17-11-2014 से 27-12-2014 तक कुल 41 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15-16 नवंबर 2014 एवं दिनांक 28 दिसम्बर 2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ते हुए उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. अराज.), छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2014

क्रमांक 4561 एफ 6-4/22/सा.आ. एवं जा. जनगणना 2011/2014.—छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कांकेर, दन्तेवाड़ा, नारायणपुर, कोरबा, बीजापुर एवं धमतरी के लिए, सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना-2011 (एस.ई.सी.सी. 2011) के दौरान दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत/प्राप्त करने तथा उनका निराकरण करने के लिए समय-सीमा को स्वीकृति प्रदान करता है. कथित दावों और आपत्तियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियां के लिए समय सीमाएं निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

1. **प्रारूप सूची का प्रकाशन : (दिनांक 01 दिसम्बर 2014)—** ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र क्रमाक क्यू-16015/04/2011—एआई (आर.डी.) दिनांक 17/05/2012 द्वारा परिवहित अनुदेश पुस्तिका के अनुसार परिवारों के सामाजिक-आर्थिक (जाति को छोड़कर) विवरण दर्शाने वाली प्रारूप सूची दिनांक 01 दिसम्बर 2014 को निर्धारित स्थानों पर प्रकाशित की जावेगी.

2. **ग्राम सभा की बैठक दिनांक 1 दिसम्बर 2014 से 10 दिसम्बर 2014 के बीच बुलाना :—**दिशानिर्देश अनुसार प्रारूप सूची के प्रकाशन से 10 दिवस के भीतर अर्थात् 01 दिसम्बर 2014 से 10 दिसम्बर 2014 के बीच एक ग्रामसभा की बैठक सार्वजनिक समीक्षा हेतु बुलाई जाएगी. इस बैठक में जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का एक प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा. यह ग्रामसभा प्रारूप सूची में अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी रहवासियों/परिवारों की समीक्षा करेगी. ग्रामसभा द्वारा प्रदर्शित प्रारूप सूची की जानकारी में इंगित त्रुटियों को दर्ज किया जाएगा. तथा आगामी कार्यवाही की जावेगी.

3. **पदांकित जनपद पंचायत स्तर अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में दावे और आपत्तियों के आदेवनों की प्राप्ति (दिनांक 30 दिसम्बर 2014 तक) :—**विहित प्रपत्र में, दावे और आपत्तियों की प्रस्तुति और प्राप्ति का कार्य, प्रारूप सूची प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवसों तक किया जा सकता है, अर्थात् दावे और आपत्ति दिनांक 30 दिसम्बर 2014 तक की प्राप्त हो जाने चाहिए.

4. **दावों और आपत्तियों के निराकरण की अंतिम दिनांक—(21 जनवरी 2015):—**जनपद पंचायत स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दावा और आपत्तियों का निराकरण दिशानिर्देश अनुसार, 07 दिवस के भीतर हो जाने चाहिए. तथापित प्रारूप सूची प्रकाशन के 52वें दिन तक अर्थात् 30 दिसम्बर 2014 तक प्राप्त समस्त दावे और आपत्ति दिनांक 21 जनवरी 2015 तक अनिवार्यतः निराकृत हो जाने चाहिए.

5. **जिला स्तर पर पदांकित प्राधिकारी द्वारा अपील याचिकाओं की प्राप्ति—(दिनांक 29 जनवरी 2015) :—**जनपद पंचायत स्तर के निर्णय से असन्तुष्ट आवेदक द्वारा निर्णय ज्ञात होने के 07 दिवस के भीतर अपीलीय अधिकारी को अभ्यावेदन किया जाना होगा. अपील याचिकाओं की प्रस्तुति/प्राप्ति, प्रारूप सूची प्रकाशन की दिनांक से 60वें दिन तक अर्थात् दिनांक 29 जनवरी 2015 तक की जावेगी.

6. **अपील के निपटारे की अंतिम दिनांक (दिनांक 18 फरवरी 2015) :—**प्राधिकृत अपीलीय अधिकारी द्वारा प्राप्त अपीलों की सुनवाई और उन पर निर्णय के लिए अंतिम समय-सीमा प्रारूप सूची प्रकाशन के 80वें दिन तक है अर्थात् अपील याचिकाएं 18 फरवरी 2015 तक अनिवार्य रूप से निराकृत हो जाने चाहिए.

7. **अंतिम सूची का प्रकाशन (दिनांक 20 फरवरी 2015) :—**अंतिम सूची का प्रकाशन की कार्यवाही, प्रारूप सूची के प्रकाशन के 82वें दिन अर्थात् दिनांक 20 फरवरी 2015 से भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. राऊत, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

शुद्धि-पत्र

क्रमांक 9095/डी. 162/21-अ/प्रारूपण/छ.ग./14.—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25 अगस्त, 2014 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 17 सन् 2014) के हिन्दी पाठ में :—

1. पृष्ठ क्र. 936 (1) में, पंक्ति क्र. 8 में, “शैक्षणिक परिषद्” को “विद्या परिषद्” पढ़ा जाए.

2. पृष्ठ क्र. 936 (3) में,
   (एक) पंक्ति क्र. 12 में, “शैक्षणिक परिषद्” को “विद्या परिषद्” पढ़ा जाए.
   (दो) पंक्ति क्र. 27 में, “शैक्षणिक परिषद्” को “विद्या परिषद्” पढ़ा जाए.

No. 9095/डी. 162/21-अ/प्रारूपण/छ.ग./14.—In the Hindi version of the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University (Amendment) Act, 2014 (No. 17 of 2014), as published in the Chhattisgarh Gazette (Extra Ordinary), dated 25th August, 2014 :—

1. At page No. 936 (1), in line No. 8, for “Shaikshanic Parishad”, read “Vidya Parishad”;

2. At page No. 936 (3),—
   (i) In line No. 12, for “Shaikshanic Parishad”, read “Vidya Parishad”;
   (ii) In line No. 27, for “Shaikshanic Parishad”, read “Vidya Parishad”;

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 10-19/2010/वाक/पांच (77).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, जो 05 मार्च, 2010 से प्रभावी होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

"अनुसूची-एक" के सरल क्रमांक 10 के कॉलम (6) में अंक तथा चिन्ह "1,900" के स्थान पर, अंक तथा चिन्ह "2,400" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 10-19/2010/वाक/पांच (77).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-19/2010/वाक/पांच (77), दिनांक 27-10-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Raipur the 27th October 2014

No. F 10-19/2010/CT/V (77).—In exercise of the powers conferred by the proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Commercial Tax Tribunal Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2010 with effect from 5th March, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said rules,—

In column (6) of serial number 10 of Schedule-I, for the figure and symbol "1,900", the figure and symbol "2,400" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला जशपुर के कोतबा निवेश क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक 2361/एफ-21/29/2008/13/2.—राज्य शासन की यह राय है कि इस विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-11-4-2006-13-1, दिनांक 05-04-2006 में विसंगतियां पाई गई हैं, अधिसूचना क्रमांक 1416/13/ईडी/अधिसूचना/08, दिनांक 09-07-2008 में, पूर्व में जारी उक्त अधिसूचना को अधिक्रमित करने का उल्लेख नहीं है तथा उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 21/29/08/13/2/2013, दिनांक 30-09-2013, भी अस्पष्ट है, अत: औद्योगिक नीति 2004-2009 में यथा प्रावधानित विद्युत शुल्क से छूट लागू किये जाने के संबंध में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, और औद्योगिक नीति 2004-2009 के अंतर्गत राज्य में विद्युत शुल्क में छूट हेतु नवीन औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने तथा विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक X सन् 1949) की धारा 3-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा औद्योगिक नीति 2004-2009 के अंतर्गत विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट के संबंध में इस विभाग की पूर्व की अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए और प्रावधानों में भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई तालिका में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणी के पात्रताधारी नवीन उद्योगों (विद्यमान औद्योगिक इकाईयों की विस्तार परियोजनाओं को छोड़कर) को, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से, उनके सामने दर्शित अवधि के लिए स्वयं के उपयोग हेतु खपत की गई विद्युत यूनिटों पर ही देय विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

(क) लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	1. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट. 2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

(ख) वृहद-मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

(ग) मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

उपरोक्तानुसार विद्युत शुल्क में छूट, निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जायेगी, अर्थात् :—

(1) राज्य की औद्योगिक नीति 2004–2009 के खण्ड 4.4.6 में निर्दिष्ट प्रावधानों (शर्तों) का पालन करने वाले केवल नवीन औद्योगिक परियोजनाओं को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की पात्रता रहेगी.

(2) राज्य की औद्योगिक नीति 2004–2009 के परिशिष्ट–2 में सम्मिलित अपात्र उद्योगों (नेगेटिव लिस्ट), जो संलग्न परिशिष्ट–अ अनुसार है, को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की पात्रता नहीं रहेगी.

(3) राज्य की औद्योगिक नीति 2004–2009 के परिशिष्ट 4 के भाग–3 में उल्लिखित अनुसार विद्यमान औद्योगिक इकाईयों की विस्तार परियोजनाओं को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की पात्रता नहीं रहेगी.

(4) राज्य की औद्योगिक नीति 2004–2009 के खण्ड 4.4.12 के अधीन वे उद्योग जिन्होंने दिनांक 01–11–04 के पूर्व उद्योगों की स्थापना हेतु “प्रभावी कदम” उठा लिये हों, अर्थात्,—

(एक) इकाई ने भूमि का वैध आधिपत्य प्राप्त कर लिया हो,

(दो) इकाई ने डीपीआर के अनुसार शेड का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया हो, तथा

(तीन) इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी हेतु पक्का क्रय आदेश दे दिया हो, किन्तु यदि नियत दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, तो इकाई को औद्योगिक नीति, 2001–2006 में प्रावधानित रियायत/छूट प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा.

(5) ऐसे उद्योगों/निवेशकों, जिन्हें औद्योगिक नीति 2001–06 के अनुसार अथवा ऊर्जा विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षकालय द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, को राज्य की औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत इस अधिसूचना के अनुसार विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की पात्रता नहीं रहेगी, तथापि पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र के अनुसार विद्युत शुल्क में छूट की सुविधा, उक्त प्रमाण–पत्र में दर्शायी गई अवधि के लिए यथावत रहेगी.

(6) विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की सुविधा प्राप्त करने के लिये उद्योग विभाग द्वारा, औद्योगिक नीति, 2004–09 में विहित शर्तों के अनुसार औद्योगिक संस्थान के लिए छूट की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा. इस प्रयोजन हेतु आवेदक उद्योग को, उद्योग विभाग द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाणपत्र सहित आवेदन, जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि उद्योग ने राज्य की औद्योगिक नीति 2004–2009 के

सभी प्रावधानों का पालन किया है, मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. तद्पश्चात् मुख्य विद्युत निरीक्षकालय द्वारा, उद्योग विभाग के अनुशंसित आवेदन पर विचार करने के उपरांत, औद्योगिक नीति में विहित अवधि के लिये विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा.

(7) औद्योगिक नीति के प्रावधानों के अनुरूप औद्योगिक इकाई में स्थानीय लोगों को रोजगार देने संबंधी प्रावधानों का पालन करने का दायित्व निवेशक पर होगा एवं इस प्रयोजन हेतु निवेशक को संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्यत: प्रस्तुत करना होगा.

(8) औद्योगिक नीति में परिभाषित किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर, छूट की पात्रता स्वत: समाप्त हो जायेगी एवं रियायत के एवज में हुए लाभ की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी.

(9) विद्युत शुल्क से छूट की पात्रता के संबंध में ऊर्जा विभाग का निर्णय अंतिम होगा.

यह अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01-11-2004 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

No. 2361/F-21/29/2008/13/2.—Whereas, the State Government is of the opinion that there are discrepancies in this department's earlier notification number F-11-4-2006-13-1, dated 05-04-2006, supersession of said earlier notification was not mentioned in the notification number 1416/13/ED/Notification/08, dated 09-07-2008 and notification number F 21/29/08/13/2/2013, dated 30-09-2013 issued in supersession of the above two notifications is also ambiguous and hence there is confusion with regard to application of Electricity Duty Exemption as provided in Industrial Policy 2004-2009 and it is necessary and expedient to supersede earlier notification for the purpose of encouraging new industrial units and to provide specified incentives for exemption in the electricity duty in the State under Industrial Policy 2004-2009;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3-B of the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. X of 1949) and in supersession of this department earlier notifications with respect to exemption from payment of electricity duty under Industrial Policy 2004-2009 and for the purpose of clarifying the status of confusion in the provisions, the State Government, hereby, exempts eligible new industries (except expansion projects of existing industrial units) of various categories as specified in the table mentioned below, from the date of commencement of commercial production, from payment of electricity duty payable only on the electrical units consumed for its own use for the period indicated against them, namely :—

(A) Small Industry

Region	General Industry	Special thrust industry
Category A-General Area	1. Total exemption upto 10 years from the date of commencement of commercial production. 2. Exemption upto 15 years to the industries set-up by the Scheduled Castes/Tribes Cadre.	Total exemption upto 15 years from the date of commencement of commercial production.
Category B-Most Backward Scheduled Tribes Dominant Areas.	Total exemption upto 15 years from the date of commencement of commercial production.	Total exemption upto 15 years from the date of commencement of commercial production.

(B) Medium-Large Industry

Region	General Industry	Special thrust industry
Category A-General Area	Total exemption upto 10 years from the date of commencement of commercial production.	Total exemption upto 15 years from the date of commencement of commercial production.
Category B-Most Backward Scheduled Tribes Dominant Areas.	Total exemption upto 15 years from the date of commencement of commercial production.	Total exemption upto 15 years from the date of commencement of commercial production.

(C) Mega Project

Region	General Industry	Special thrust industry
Category A-General Area	Total exemption upto 15 years from the date of commencement of commercial production.	Total exemption upto 15 years from the date of commencement of commercial production.
Category B-Most Backward Scheduled Tribes Dominant Areas.	Total exemption upto 15 years from the date of commencement of commercial production.	Total exemption upto 15 years from the date of commencement of commercial production.

Above exemption from Electricity Duty shall be given under the following conditions, namely :—

(1) Only those new industrial projects, who are complying with conditions stipulated in Clause 4.4.6 of the Industrial Policy, 2004-2009 of the State shall be entitled for exemption from payment of Electricity Duty.

(2) Ineligible industries (Negative list) included in Annexure-2 of the Industrial Policy, 2004-2009 of the State, which is as per enclosed Annexure-A, shall not be eligible for exemption from payment of Electricity Duty.

(3) Expansion projects of existing industrial units shall not be eligible for exemption from payment of Electricity Duty as mentioned in Part-3 of Annexure-4 of the Industrial Policy, 2004-2009 of the State.

(4) Those industries who have undertaken "effective steps" prior to 01-11-04 under Clause 4.4.12 of the Industrial Policy, 2004-2009 of the State, for establishment of industries i.e.—

(i) Unit has taken valid possession of land,

(ii) Unit has commenced construction of shed as per DPR, and

(iii) Unit has placed final purchase order for plant and machinery as per Project Report but if the commercial production has not commenced on the appointed day, then the units shall have the option to avail concession/exemption provided in Industrial Policy 2001-2006.

(5) Such industry (ies)/investor (s), who have issued certificate by the Chief Electrical Inspector for exemption from payment of Electricity Duty as per Industrial Policy 2001-06 or as per the provious notifications issued by the Energy Department, shall not be eligible for exemption from payment of Electricity Duty under Industrial Policy, 2004-2009 of the State as per this notification. However facility of exemption from payment of Electricity Duty as per certificate issued earlier, shall remain as it is for the period indicated in the said certificate.

(6) Department of Industries shall determine the eligibility of exemption for Industrial units, as per prescribed conditions of the Industrial Policy, 2004-2009 of the State, for availing the facility of exemption from payment of Electricity Duty. For this purpose applicant industry has to submit an application in the office of Chief Electrical Inspectorate along with certified certificate by the Department of Industries in which it has been clearly stated that industry is complying with all the provisions of the Industrial Policy, 2004-2009 of

the State. Thereafter, Chief Electrical Inspectorate shall after considering the Department of Industries' recommended application, issue certificate for exemption from payment of Electricity Duty for the period prescribed in the Industrial Policy.

(7) It shall be the responsibility of the investor to comply the provision relating to providing employment to the local resident in the industrial unit as per the provisions of Industrial Policy and for this purpose investor has to compulsorily produce certificate issued by collector of concerned district.

(8) Eligibility of exemption shall end automatically on violation of any of the conditions defined in the Industrial Policy and benefits availed against the concession shall be recovered as arrears of land revenue.

(9) Decision of Department of Energy regarding eligibility for exemption from Electricity Duty shall be final.

This notification shall be deemed to have come into force with retrospective effect from the date of 01-11-2004.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आनंद बाबू, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 24 नवम्बर 2014

क्रमांक/8270/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	मोतीपुर (राजनांदगांव) प. ह. नं. 28	89.06	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ.ग.).	राजनांदगांव - डोंगरगढ़ मार्ग पर मोतीपुर रेल्वे क्रासिंग क्र. 461 पर प्रस्तावित अंडर ब्रिज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 नवम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 64/अ-82/2011-12.—भू-अर्जन प्रकरण में मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ द्वारा ग्राम-उचभिठी, प.ह.नं.-6, तहसील रायगढ़, जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल ख. नं. 5 कुल रकबा 0.107 हे. औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 06-07-2012 एवं 15-03-2013 को कराया गया है.

निम्नांकित भूमि का प्रभावित नहीं होने के कारण एवं भूमि मूल रकबा से अधिक प्रकाशन होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम उच्चभिठी

क्रमांक (1)	खसरा नंबर (2)	रकबा (हे.) (3)
1.	173/2	0.053
2.	30/4 से	0.004
3.	31/1 से	0.024
4.	30/2 से	0.020
5.	30/6 से	0.006
योग	**5**	**0.107**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2014

रा.प्र.क्र. 1/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-प्रेमनगर
- (ग) नगर/ग्राम-सलका, प.ह.नं. 78
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.700 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
37	0.060

(1)	(2)
43	0.010
44	0.050
45	0.100
50	0.110
63	0.090
525	0.040
545/2	0.260
650	0.550
672	0.010
711/1	0.180
711/2	0.070
980/3	0.100
985/2	0.070
योग 14	1.700

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-प्रेमनगर ताप विद्युत परि. के कोल कन्वेयर गैलरी एवं विद्युत परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

क्रमांक/6664/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरिया
(ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
(ग) नगर/ग्राम-मनेन्द्रगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
157/4	0.162
योग 1	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेल्वे ओव्हर ब्रिज पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 18 नवम्बर 2014

क्रमांक 5601/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-उ. ब. कांकेर
(ख) तहसील-कांकेर
(ग) नगर/ग्राम-पीढ़ापाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.19 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	692	0.06
		693	0.05
449/1	0.09	691	0.04
644/1	0.07	540/1	0.08
641	0.03	540/2	0.11
449/3	0.14	540/3	0.07
460/2	0.09	540/4	0.07
449/2	0.10	541/1	0.09
452	0.10	540/5	0.06
462	0.13	543	0.18
468/1	0.12	544/1	0.16
648/1	0.05	542	0.11
538/1	0.04	546	0.04
468/2	0.10	266/1	0.14
468/3	0.02	266/2	0.04
534	0.05	266/3	0.13
651/3	0.03	266/4	0.16
648/2	0.03	266/6	0.01
511	0.08	263	0.07
510/1	0.05	265/5	0.08
514/2	0.04	265/1	0.25
512	0.04	265/3	0.04
513/2	0.01	226	0.04
514/1	0.04	227	0.12
536	0.09	186	0.02
653	0.02	187	0.05
649	0.07	185	0.22
539	0.13	188/7	0.01
527	0.12	188/10	0.01
528	0.03	188/12	0.01
140	0.06	188/13	0.01
537	0.08	205	0.02
602	0.07	200	0.08
526	0.10	199	0.10
520	0.01	203	0.01
650	0.08	159	0.16
647	0.05	208	0.01
644/2	0.07	146	0.12
640	0.12	147/1	0.34
680	0.16	143/2	0.20
690	0.07	143/1	0.26
645	0.04	157	0.14
643	0.06	141/1	0.02
681	0.10	142	0.06
682	0.02	147/2	0.16
683	0.14	148	0.02
684	0.04	149	0.12

	(1)	(2)
	266/5	0.06
	160	0.45
	161	0.02
	165/1	0.02
	165/2	0.02
	451	0.09
योग	99	8.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कानागांव व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2011-12—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-गोढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.681 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	18/3	0.534
	204	0.026
	178/5	0.332
	211	0.134
	199	0.500
	178/1	0.056
	203	0.026
	178/4	0.073
योग	8	1.681

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोढ़ी केलो परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 नवम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2011-12—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-आमाघाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.436 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
464/2	0.064
478	0.324

	(1)	(2)
	481/2	0.048
योग	3	0.436

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमाघाट केलो परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 नवम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2011-12—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-कसडोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.453 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	63/1क	0.295
	71/2	0.135
	71/3	0.266
	496/1	0.048
	54/5	0.239
	63/2क	0.122
	70/4क	0.771
	297/1	0.080
	496/2	0.060
	288/2ख	0.060
	63/3	0.028
	71/4क	0.365
	(1)	(2)
	297/2	0.044
	497	0.162
	288/2ग	0.020
	70/2	0.350
	71/1	0.048
	319/1ग	0.231
	554/11	0.129
योग	19	3.453

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कसडोल केलो परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 21 नवम्बर 2014

क्रमांक/4963/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कौरिनभाठा, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
538/1-2-3-4	0.024
योग	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बायपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 नवम्बर 2014

क्रमांक/4964/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन-र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-खैरा, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
183	0.032
186	0.016
184	0.081
योग	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भर्रेगांव-रवेली-राजनांदगांव मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्च स्तरीय पुल मय पहुचं मार्ग निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 नवम्बर 2014

क्रमांक/4965/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन-र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-भर्रेगांव, प.ह.नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.437 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
246	0.040
247	0.049
248	0.045
251	0.040
185/1	0.049
186	0.028
187	0.024
188/1+2	0.045
216	0.170

(1)	(2)
217	0.179
218	0.073
219	0.065
231	0.206
232	0.138
238/1	0.040
238/2	0.040
239	0.097
243	0.154
244	0.251
133/1	0.243
270/1	0.073
270/2	0.077
270/3	0.069
430/9	0.312
योग	2.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भर्रेगांव-रवेली-राजनांदगांव मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्च स्तरीय पुल मय पहुचं मार्ग निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 नवम्बर 2014

क्रमांक/8207/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन-र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-मोहला
- (ग) नगर/ग्राम-रेंगाकठेरा, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1077	0.065
योग	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भालापुर-विजयपुर मार्ग पर कोतरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 नवम्बर 2014

क्रमांक/8208/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन-र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-मोहला
- (ग) नगर/ग्राम-भालापुर, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
54/2	0.105
योग	0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विजयपुर-भालापुर मार्ग पर कोतरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 नवम्बर 2014

क्रमांक/8209/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन-र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कल्याणपुर, प.ह.नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.654 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	147/1	0.069
	613/1	0.012
	147/2	0.061
	613/2	0.032
	147/3	0.012
	613/3	0.012
	617/1	0.162
	617/2	0.040
	618	0.097
	619	0.045
	620/3	0.012
	620/1	0.016
	620/2	0.012
	622	0.036
	144	0.036
योग	15	0.654

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोंगरगढ़-चिचोला मार्ग के कि.मी. 13/10 पर गजमर्रा नाला पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 26 नवम्बर 2014

दुर्ग भिलाई बाह्य वृद्धि निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के प्रकाशन की सूचना

क्रमांक 12464/नग्रानि/दुर्ग/वि.यो. दुर्ग भिलाई/2014.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि दुर्ग भिलाई बाह्य वृद्धि निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला दुर्ग, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग, कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग, नगर पालिक निगम भिलाई, नगर पालिका परिषद् भिलाई-चरोदा, नगर पालिका परिषद् कुम्हारी, नगर पालिका परिषद् जामुल एवं कार्यालय नगर पंचायत उतई में दिनांक 29-11-2014 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

दुर्ग भिलाई बाह्य वृद्धि निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

दुर्ग भिलाई निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम दमोदा, बोरई, पोटिया, सेवती, अंजोरा, ढाबा, डांडेसरा, समोदा, झेंझरी, करंजा भिलाई, बासीन, अहेरी, बाघडूमर, सेमरिया, ओखरा, मुरमुंदा, अछोटी, बोरसी, कंडरका, सांकरा एवं पंचदेवरी के उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम पंचदेवरी, खपरी, कुम्हारी, मगरघटा, भोथली, अमलेश्वर, खुरमुड़ा, घुघवा एवं जमराव की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम जमराव, महुंदा, कापसी, मोतीपुर, अमलीडीह, अमेरी, औरी, कर्सा, पहडोर, मुड़पार, पतोरा, उतई, पुरई, खम्हरिया, कोड़िया, चन्दखुरी, थनौद एवं ग्राम बिरेझर की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम बिरेझर, थनौद, अंजोरा, खपरी, रसमड़ा, गनियारी, बोरई, खुरसुल, खुर्सीडीह एवं ग्राम दमोदा की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उस पर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 12464/T&CP/Durg/DP-Durg-Bhilai/2014.—Notice is hereby given that the existing land use map for Durg-Bhilai Extended planning area has been prepared under sub section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 29-11-2014 during office hours in the offices of the Collector District Durg C. G., office of the Joint Director Town and Country Planning Durg, Office of the Municipal Corporation Durg, Municipal Corporation Bhilai, Municipal council Bhilai-Charoda, Municipal council Kumhari, Municipal council Jamul and Office of the Nagar Panchayat Utai C. G.

The limit of Durg-Bhilai Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Durg-Bhilai Planning area

NORTH : Village Damoda, Borai, Potiya, Sevati, Anjora, Dhaba, Dandesara, Samoda, Jhenjhari, Karanja Bhilai, Basin, Baghadumar, Semariya, Okhara, Murmunda, Achoti, Borsi, Kandarka, Sankara and Panchdevari's upto North Boundary.

EAST : Village Panchdevari, Khapari, Kumhari, Magarghata, Bhothali, Amleshwar, Khurmuda, Ghughawa and Jamrao upto East Boundary.

SOUTH : Village Jamrao, Mahunda, Kapsi, Motipur, Amlidih, Ameri, Aouri, Karsa, Pahdor, Mudpar, Patora, Utai, Purai, Khamhariya, Kodiya, Chandkhuri, Thanoud and Birejhar upto South Boundary.

WEST : Village Birejhar, Thanoud, Anjora, Khapri, Rashmada, Ganiyari, Borai, Khursul, Khursidih and Damoda upto West Boundary.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map and register so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Chhattisgarh Raipur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the “Chhattisgarh Gazette”.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Director Nagar Tatha Gram Nivesh Chhattisgarh.

एल. एल. राठौर,
प्र. संयुक्त संचालक.

दुर्ग, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

पाटन निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के प्रकाशन की सूचना

क्रमांक 11908/नग्रानि/दुर्ग/वि.यो. पाटन/2014.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पाटन निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला दुर्ग, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाटन जिला दुर्ग, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग, (छ.ग.) तथा नगर पंचायत पाटन छ.ग. में दिनांक 03-11-2014 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

पाटन निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

पाटन निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम दैवमोर, बठेना, सिकोला एवं सुपकान्हा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम सुपकान्हा, सोनपुर एवं खमरिया ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम खमरिया, अटारी, अखरा एवं पंदर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम पंदर एवं दैवमोर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 11908/T&CP/Durg/DP-Patan/2014.—Notice is hereby given that the existing use map for Patan planning area has been prepared under sub section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 03-11-2014 during office hours in the offices of the Collector District Durg C. G., office of the Sub-divisional officer (revenue) Patan, office of the Joint Director Town and Country Planning Durg and local Authorities Nagar Panchayat Patan District Durg C. G.

The limit of Patan Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Patan Planning area

NORTH : Village Daivmor, Bathena, Sikola and upto Northern of Village Supkanha.

EAST : Village Supkanha, Sonpur and upto Eastern boundary of Village Khamariya.

SOUTH : Village Khamariya, Atari, Akhara and upto Southern boundary of Village Pandar.

WEST : Village Pandar and upto Western boundary of Daivmor Village.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Chhattisgarh Raipur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Director.

विनीत नायर,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2014

क्रमांक 7737.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बिलासपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किए गए 62 अतिरिक्त ग्रामों के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये है उसकी प्रति नगर निगम बिलासपुर के कार्यालय भवन, जिलाध्यक्ष कार्यालय बिलासपुर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. में दिनांक 26-11-2014 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :—

अनुसूची

बिलासपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम काठाकोनी, बिनौरी, पेण्डारी, परसदा, जोंकी, निरतू, सेन्दरी, कछार, रमतला, सेमरताल, बैमा एवं हरदीडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम हरदीडीह, उरतुम, लगरा, खैरा, फरहदा, दोमुहानी, कर्रा, लिमतरा, दर्रीघाट एवं लावर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम लावर, पोढ़ी, मगरउछला, बोहारडीह, लिमतरी, नरगौड़ी, कडार, सेवार, भटगांव, परसदा, मुढ़ीपार, रहंगी, खम्हारडीह एवं हरदी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम हरदी, पेण्ड्रीडीह, बोडसरा, अमसेना, बेलमुण्डी, कोपरा, बहतराई, दबेना एवं काठाकोनी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. को सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल- कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर, जिला बिलासपुर छ.ग.

No. 7737.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Additional 62 villages included in Bilaspur Planning Area has been prepared under sub section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection w.e.f. 26-11-2014 in the Office of the Municipal Carporation Bilaspur, Office of the Collector, Bilaspur and Office of the Joint Director Town and Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur during Office hours of working days. The limits of Bilaspur Planning Area are detailed in Schedule given below :—

SCHEDULE

Bilaspur Planning Area Limits

NORTH	:	Village Kathakoni, Binouri, Pendari, Parsada, Jonki, Nirtu, Sendari, Kachhar, Ramtala, Semartal, Baima and upto the North limit of Hardidih.
EAST	:	Village Hardidih, Urtum, Lagra, Khaira, Farhada, Do-Mohani, Karra, Limtara, Darrighat and upto the East limit of Lawar.
SOUTH	:	Village Lawar, Podi, Magaruchhalla, Bohardihh, Limtari, Nargaurhi, Kadar, Sewar, Bhatgao, Parasada, Mudpar, Ragangi, Khamhardih and up to the North limit of Hardi.
WEST	:	Village Hardi, Pendridih, Bodhsara, Amsena, Belmundi, Kopra, Bahatrai, Dabena and upto the West limit of Kathakoni.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur. Within a period of thirty days from the date of publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Director.

Inspection Site— Office of the Joint Director Town & Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur.

एम. के. गुप्ता,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रायगढ़, दिनांक 26 अगस्त 2014

संशाधित अधिसूचना

क्रमांक/पंचा. निर्वा./2014/3185.—छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/2014/19 दिनांक 14-08-2014 के द्वारा प्राप्त निर्देश के तहत श्री प्रेमलाल एवं अन्य ग्रामवासी कोड़ामाई जनपद पंचायत लैलूंगा के सुझाव पत्र के साथ संलग्न माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा के पत्र दिनांक 27-07-2014 में उल्लेखित तथ्यों का परीक्षण किया गया एवं सुना गया. परीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि ग्रामवासी कोड़ामाई द्वारा दिनांक 16-6-14 को प्रस्तुत दावा/सुझाव पत्र पर विचार किये बिना अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा द्वारा ग्राम पंचायत नारायणपुर के आश्रित ग्राम पोकडेगा एवं कोड़ामाई को मिलाकर नवीन ग्राम पंचायत पोकडेगा तथा ग्राम पचांयत नारायणपुर गठित किया जाना प्रस्तावित किया गया था. जिसके आधार पर सर्व साधारण के जानकारी के लिए अधिसूचना क्रमांक/2322/पंचा./2014 दिनांक 17-07-14 प्रकाशित कराते हुए ग्राम पंचायत नारायणपुर एवं ग्राम पंचायत पोकडेगा को गठित किया गया था.

उक्त अधिसूचना अनुसार ग्रामवासी कोड़ामाई को अपने ग्राम पचांयत मुख्यालय पोकडेगा जाने के लिए ग्राम पंचायत नारायणपुर को पार करने पश्चात् जाना पड़ेगा तथा पूर्व मुख्यालय ग्राम नारायणपुर की अपेक्षा दूरी भी अधिक होगा. अतः ग्राम पंचायत पोकडेगा को विस्थापित/विलोपित करते हुए विचाराधीन अधिसूचना क्रमांक/2322/पंचा./2014 दिनांक 17-07-2014 में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है :—

सारणी

विकासखण्ड का नाम	अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नं.
लैलूंगा	47	नारायणपुर	1. नारायणपुर	2000	32
			2. पोकडेगा	613	32
			3. कोड़ामाई	612	32
			योग	**3225**	

2. विकासखण्ड लैलूंगा के अंतर्गत क्रमांक 74 में अंकित ग्राम पंचायत पोकडेगा को विस्थापित/विलोपित किया जाता है. इस प्राकर संशोधित अधिसूचना के फलस्वरूप जनपद पंचायत लैलूंगा में अब कुल 73 ग्राम पंचायतें यथावत रहेंगे.

यह संशोधित अधिसूचना सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय.

रायगढ़, दिनांक 28 अगस्त 2014

क्रमांक/पंचा. निर्वा./2014/3224.—पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 ग्राम पंचायत परिसीमन के संबंध में संशोधित अधिसूचना क्रमांक/पंचा. निर्वा/2014/3185 दिनांक 26-08-2014 के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए मैं मुकेश बंसल कलेक्टर जिला रायगढ़ (छ.ग.) एतद्द्वारा सारिणी के स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ 4 में उल्लिखित अनुसार होगी, विभाजित करता हूं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ पांच में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूं.

सारणी

खंड-लैलूंगा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर ग्राम का नाम	मकान नंबर .... से	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
47	नारायणपुर	01 (एक)	नारायणपुर	1 से 22 (अ)	अ.जा. (मुक्त)	0

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
		02 (दो)	नारायणपुर	23 से 49	अ.ज.जा. (मुक्त)	6
		03 (तीन)	नारायणपुर	50 से 71	पिछड़ा वर्ग (मुक्त)	1
		04 (चार)	नारायणपुर	73 से 99 (क)	अनारक्षित (मुक्त)	2
		05 (पांच)	नारायणपुर	100 से 124 छ 1	महिला अ.जा.	1
		06 (छः)	नारायणपुर	125 से 143	महिला अ.ज.जा.	6
		07 (सात)	नारायणपुर	144 से 155	महिला पिछड़ा वर्ग	1
		08 (आठ)	नारायणपुर	156 से 175/1	महिला अनारक्षित	3
		09 (नौ)	नारायणपुर	176 से 192/2		
		10 (दस)	नारायणपुर	193 से 215 स		
		11 (ग्यारह)	नारायणपुर	216 से 239		
		12 (बारह)	नारायणपुर	240 से 259 ब		
		13 (तेरह)	नारायणपुर	260 से 286		
		14 (चौदह)	पोकडेगा	1 से 14		
		15 (पन्द्रह)	पोकडेगा	15 से 35		
		16 (सोलह)	पोकडेगा	36 से 53		
		17 (सत्रह)	पोकडेगा	54 से 69 क		
		18 (अठारह)	कोड़ामाई	1 से 29		
		19 (उन्नीस)	कोड़ामाई	30 से 55/1		
		20 (बीस)	कोड़ामाई	56 से 81/2		

मुकेश बंसल,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 10th October 2014

No. 1048/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ram Kumar Tiwari, Additional District & Sessions Judge.	Ramanujganj	Durg	Durg	I Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Onkar Prasad Gupta, Member Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority.	Bilaspur	Ramanujganj	Surguja (Ambikapur)	Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 12th November 2014

No. 47(mis)/I-7-3/2015 (Pt.-II).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following are the Holidays for the Courts Subordinate to the High Court of Chhattisgarh for the Year 2015 :—

S. No. (1)	Name of Holiday (2)	No. of Days (3)	Dates as per Gregorian Calendar (4)	Days of the week (5)
1.	Republic Day	1	26-01-2015	Monday
2.	Mahashivratri	1	17-02-2015	Tuesday
3.	Holi Holidays	2	06-03-2015 to 07-03-2015	Friday to Saturday
4.	Ram Navami	1	28-03-2015	Saturday
5.	Mahavir Jayanti	1	02-04-2015	Thursday
6.	Good Friday	1	03-04-2015	Friday
7.	Dr. Ambedkar Jayanti	1	14-04-2015	Tuesday
8.	Raksha Bandhan	1	29-08-2015	Saturday
9.	Janamashtami	1	05-09-2015	Saturday
10.	Id-Ul-Zuha (Bakrid)	1	24-09-2015	Thursday
11.	Gandhi Jayanti	1	02-10-2015	Friday
12.	Dashera Holiday	2	21-10-2015 to 22-10-2015	Wednesday to Thursday
13.	Muharrum	1	24-10-2015	Saturday
14.	Deepawali Holidays	2	11-11-2015 to 12-11-2015	Wednesday to Thrusday
15.	Gurunanak Jayanti	1	25-11-2015	Wednesday
16.	Christmas	1	25-12-2015	Friday

NOTES :—

1. All the Sundays are declared holidays for the Subordinate Courts including the Sundays falling during Summer Vacation & Winter Holidays.

2. Second & Third Saturdays of the month shall be closed Saturdays for the Subordinate Courts.

3. Milad-Un-Nabi fall on Sunday and Id-Ul-Fitr & Independence day fall on closed Saturday, therefore, no Holiday is declared separately.

4. The Judicial Officer of Subordinate Courts shall be entitled to avail of Vacation for a period of maximum 15 days in a year during the Summer Vacation from 18-05-2015 to 12-06-2015 and Winter holidays from 26-12-2015 to 31-12-2105.

5. Holidays declared on account of Milad-Un-Nabi, Id-Ul-Fitr, Id-Ul-Zuha and Muharram are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

6. The officers and employees of the Subordinate Courts shall be entitled to avail of three optional holidays in the year out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2015.

7. The Subordinate Courts shall observe the Local Holidays as declared by the Competent Authority in respective Revenue District on account of local festivals of the Districts.

8. Subordinate Courts shall observe the holidays declared suddenly by the State Govt. without approval of the High Court.

बिलासपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक 8099/तीन-10-8/2000 (VII).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-7556/तीन-10-8/2000 (VI), दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 9346/3339/XXI-B/14 दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 22-11-2014 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बालोद	1. बालोद	2	1. बालोद	2	1. बालोद	2
				2. गुण्डरदेही	1	2. दल्लीराजहरा	1
						3. डौण्डीलोहारा	1
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार	3	1. बलौदाबाजार	2	1. बलौदाबाजार	1
		2. भाटापारा	1	2. भाटापारा	1	2. भटगांव	1
				3. कसडोल	1	3. बिलाईगढ़	1
						4. सिमगा	1
3.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	बेमेतरा	1. बेमेतरा	1	1. बेमेतरा	2	1. बेमेतरा	2
						2. साजा	1
5.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	10	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	10
		2. मुंगेली	1	2. मुंगेली	2	2. मुंगेली	1
		3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1
				4. बिल्हा	1	4. कोटा	1
						5. लोरमी	1
						6. मरवाही	1
						7. तखतपुर	1
6.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1. दंतेवाड़ा	2	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	2	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1	3. बचेली	1
						4. कोन्टा	1
7.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	2
				2. कुरूद	1	2. नगरी	1
8.	दुर्ग	1. दुर्ग	8	1. दुर्ग	3	1. दुर्ग	12
				2. पाटन	1		
				3. भिलाई-3	1		
9.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर	3	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	2
		2. सक्ती	2	2. सक्ती	1	2. सक्ती	1
				3. चांपा	1	3. डभरा	1
				4. अकलतरा	1	4. पामगढ़	1
						5. जैजैपुर	1
						6. नवागढ़	1
						7. मालखरौदा	1
10.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
		2. कुनकुरी	1	2. कुनकुरी	1	2. पत्थलगांव	1
						3. बगीचा	1
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा	1	1. कवर्धा	3	1. कवर्धा	1
						2. पंडरिया	1
12.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव	1	1. कोंडागांव	2	1. नारायणपुर	1
				2. नारायणपुर	1	2. केशकाल	1
13.	कोरबा	1. कोरबा	2	1. कोरबा	2	1. कोरबा	1
		2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1
						3. पाली	1
						4. करतला	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. मनेन्द्रगढ़	2	1. बैकुंठपुर	2	1. बैकुण्ठपुर	1
				2. मनेन्द्रगढ़	1	2. मनेन्द्रगढ़	1
				3. चिरमिरी	1	3. जनकपुर	1
15.	महासमुंद	1. महासमुंद	2	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	2
		2. सरायपाली	1	2. सरायपाली	1	2. पिथौरा	1
16.	रायगढ़	1. रायगढ़	5	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. सारंगढ़	1	2. घरघोड़ा	1	2. धर्मजयगढ़	1
				3. सारंगढ़	1	3. खरसिया	1
17.	रायपुर	1. रायपुर	10	1. रायपुर	6	1. रायपुर	16
		2. गरियाबंद	1	2. गरियाबंद	2	2. गरियाबंद	1
						3. राजिम	1
						4. तिल्दा	1
						5. देवभोग	1
18.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़ चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
				3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1	4. छुईखदान	1
19.	सूरजपुर	1. सूरजपुर	3	1. सूरजपुर	2	1. सूरजपुर	2
		2. प्रतापपुर	1	2. प्रतापपुर	1		
20.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर	6	1. अम्बिकापुर	2	1. अंबिकापुर	5
		2. रामानुजगंज	1	2. रामानुजगंज	2	2. वाड्रफनगर	1
						3. सीतापुर	1
						4. बलरामपुर	1
						5. राजपुर	1
21.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	1	1. कांकेर	2	1. कांकेर	1
		2. भानुप्रतापपुर	1	2. भानुप्रतापपुर	1	2. पखांजुर	1
		योग	**83**		**85**		**123**

नोट :— रामानुजगंज में सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के 2 न्यायालय — (रामानुजगंज-1 + बलरामपुर-1)

Bilaspur, the 12th November 2014

No. 8099/III-10-8/2000 (VII).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 7556/ III-10-8/2000 (VI), dated 21-10-2013, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification No. 9346/3339/ XXI-B/14 dated 31-10-2014 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 22-11-2014 at

the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Balod	1. Balod	2	1. Balod	2	1. Balod	2
				2. Gunderdehi	1	2. Dallirajhara	1
						3. Dondilohara	1
2.	Balodabazar	1. Balodabazar	3	1. Balodabazar	2	1. Balodabazar	1
		2. Bhatapara	1	2. Bhatapara	1	2. Bhatgaon	1
				3. Kasdol	1	3. Bilaigarh	1
						4. Simga	1
3.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
4.	Bemetara	1. Bemetara	1	1. Bemetara	2	1. Bemetara	2
						2. Saja	1
5.	Bilaspur	1. Bilaspur	10	1. Bilaspur	5	1. Bilaspur	10
		2. Mungeli	1	2. Mungeli	2	2. Mungeli	1
		3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1
				4. Bilha	1	4. Kota	1
						5. Lormi	1
						6. Marwahi	1
						7. Takhatpur	1
6.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	2	1. Dantewara	1	1. Dantewara	2
				2. Sukma	2	2. Bijapur	1
				3. Bijapur	1	3. Bacheli	1
						4. Konta	1
7.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari	2	1. Dhamtari	2
				2. Kurud	1	2. Nagri	1
8.	Durg	1. Durg	8	1. Durg	3	1. Durg	12
				2. Patan	1		
				3. Bhilai-3	1		
9.	Janjgir-Champa	1. Janjgir	3	1. Janjgir	2	1. Janjgir	2
		2. Sakti	2	2. Sakti	1	2. Sakti	1
				3. Champa	1	3. Dabhra	1
				4. Akaltara	1	4. Pamgarh	1
						5. Jaijaipur	1
						6. Navagarh	1
						7. Malkharoda	1
10.	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
		2. Kunkuri	1	2. Kunkuri	1	2. Patthalgaon	1
						3. Bagicha	1
11.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha	1	1. Kawardha	3	1. Kawardha	1
						2. Pandariya	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.	Kondagaon	1. Kondagaon	1	1. Kondagaon	2	1. Narayanpur	1
				2. Narayanpur	1	2. Keshkal	1
13.	Korba	1. Korba	2	1. Korba	2	1. Korba	1
		2. Katghora	1	2. Katghora	1	2. Katghora	1
						3. Pali	1
						4. Kartala	1
14.	Koriya (Baikunthpur)	1. Manendragarh	2	1. Baikunthpur	2	1. Baikunthpur	1
				2. Manendragarh	1	2. Manendragarh	1
				3. Chirmiri	1	3. Janakpur	1
15.	Mahasamund	1. Mahasamund	2	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	2
		2. Saraipali	1	2. Saraipali	1	2. Pithoura	1
16.	Raigarh	1. Raigarh	5	1. Raigarh	2	1. Raigarh	4
		2. Sarangarh	1	2. Gharghora	1	2. Dharamjaigarh	1
				3. Sarangarh	1	3. Kharsiya	1
17.	Raipur	1. Raipur	10	1. Raipur	6	1. Raipur	16
		2. Gariyaband	1	2. Gariyaband	2	2. Gariyaband	1
						3. Rajim	1
						4. Tilda	1
						5. Devbhog	1
18.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	3
		2. Khairagarh	1	2. Ambagarh-chowki.	1	2. Dongargarh	1
						3. Khairagarh	1
				3. Dongargarh	1	4. Chhuikhadan	1
				4. Khairagarh	1		
19.	Surajpur	1. Surajpur	3	1. Surajpur	2	1. Surajpur	2
		2. Pratappur	1	2. Pratappur	1		
20.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	6	1. Ambikapur	2	1. Ambikapur	5
		2. Ramanujganj	1	2. Ramanujganj	2	2. Wadrafnagar	1
						3. Sitapur	1
						4. Balrampur	1
						5. Rajpur	1
21.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker	1	1. Kanker	2	1. Kanker	1
		2. Bhanupratappur	1	2. Bhanupratappur	1	2. Pakhanjur	1
		Total	**83**		**85**		**123**

Note :— 2 Courts of Civil Judges Class-I at Ramanujganj - (Ramanujganj -1 + Balrampur-1)

बिलासपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक 8100/तीन-10-8/2000 (VII).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-7558/तीन-10-8/2000 (VI), दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निर्देश देता है दिनांक 22 नवम्बर, 2014 से, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय,

साधारणत: उक्त सारणी के कॉलम (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर अपनी बैठक करेंगे, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सत्र न्यायालय (2)	बैठने का स्थान/स्थानों (3)
1.	बालोद	1. बालोद
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार 2. भाटापारा
3.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर
4.	बेमेतरा	1. बेमेतरा
5.	बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. मुंगेली 3. पेण्ड्रारोड
6.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा
7.	धमतरी	1. धमतरी
8.	दुर्ग	1. दुर्ग
9.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर 2. सक्ती
10.	जशपुर	1. जशपुर 2. कुनकुरी
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा
12.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव
13.	कोरबा	1. कोरबा 2. कटघोरा
14.	कोरिया (बैकुंठपुर)	1. बैकुण्ठपुर 2. मनेन्द्रगढ़
15.	महासमुंद	1. महासमुंद 2. सरायपाली
16.	रायगढ़	1. रायगढ़ 2. सारंगढ़

(1)	(2)	(3)
17.	रायपुर	1. रायपुर 2. गरियाबंद
18.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. खैरागढ़ 3. डोंगरगढ़
19.	सूरजपुर	1. सूरजपुर 2. प्रतापपुर
20.	सरगुजा (अंबिकापुर)	1. अम्बिकापुर 2. रामानुजगंज
21.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर 2. भानुप्रतापपुर

Bilaspur, the 12th November 2014

No. 8100/III-10-8/2000 (VII).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. 7558/III-10-8/2000 (VI), dated 21-10-2013, the High Court of Chhattisgarh is pleased to direct that with effect from the 22nd November 2014 ordinarily the Court of Sessions specified in column No. (2) of the Table below, shall hold its sitting at the place or places, specified against it in Column No. (3) :—

TABLE

Serial No. (1)	Court of Sessions (2)	Ordinary Place/Places of Sitting (3)
1.	Balod	1. Balod
2.	Balodabazar	1. Balodabazar 2. Bhatapara
3.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur
4.	Bemetara	1. Bemetara
5.	Bilaspur	1. Bilaspur 2. Mungeli 3. Pendraroad
6.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara
7.	Dhamtari	1. Dhamtari
8.	Durg	1. Durg
9.	Janjgir-Champa	1. Janjgir 2. Sakti

(1)	(2)	(3)
10.	Jashpur	1. Jashpur 2. Kunkuri
11.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha
12.	Kondagaon	1. Kondagaon
13.	Korba	3. Korba 4. Katghora
14.	Koriya (Baikunthpur)	1. Baikunthpur 2. Manendragarh
15.	Mahasamund	1. Mahasamund 2. Saraipali
16.	Raigarh	1. Raigarh 2. Sarangarh
17.	Raipur	1. Raipur 2. Gariyaband
18.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh 3. Dongargarh
19.	Surajpur	1. Surajpur 2. Pratappur
20.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur 2. Ramanujganj
21.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker 2. Bhanupratappur

Bilaspur, the 20th November 2014

No. 1252/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assumes charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Session Division mentioned in Column No. (5), from the date they assumes charge of their office(s) :—

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Shakti Singh Rajput, II Additional Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Saraipali	Mahasamund	Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Hemant Kumar Agrawal, Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy.	Bilaspur	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)

Bilaspur, the 20th November 2014

No. 1254/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assumes charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division, mentioned in Column No. (5), from the date they assume charge of their office(s) :—

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Neelam Chand Sankhla, District & Sessions Judge.	Dakshin Bastar (Dantewara)	Durg	Durg	District & Sessions Judge.
2.	Shri Nirmal Minj, Judge Family Court.	Rajnandgaon	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 20th November 2014

No. 1256/Confdl./2014/II-2-90/2001 (Pt.III).— (A) Shri Gautam Chouradia, Member of Higher Judicial Service and presently posted as District & Sessions Judge, Durg is transferred and appointed as Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

(B) Shri Arvind Kumar Verma, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Judge, Family Court, Bilaspur is transferred and appointed as Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur in the Establishment of the High Court from the date he assumed charge of his office.

Bilaspur, the 22nd November 2014

No. 1260/Confdl./2014/II-2-1/2014/II-2-90/2014 (Pt.III).— It is hereby directed that the following Judicial officers, who have been transferred vide Registry Order Nos. 1254/Confdl./2014/II-2-1/2014, 1256/Confdl./2014/II-2-90/2001 (Pt. III) and 1252/Confdl./2014/II-2-1/2014 dated 20-11-2014, shall join their new place of posting after 06-12-2014 and on or before 12-12-2014 :—

(1) Shri Neelam Chand Sankhla, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara)
(2) Shri Nirmal Minj, Judge, Family Court, Rajnandgaon.
(3) Shri Gautam Chouradia, District & Sessions Judge, Durg.
(4) Shri Arvind Kumar Verma, Judge, Family Court, Bilaspur.
(5) Shri Hemant Kumar Agrawal, Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur.

By order ot the High Court,
ASHOK PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 21st November 2014

No. 633/L.G./2014/II-2-7/2003.—Shri Arvind Singh Chandel, Registrar (Vigillance and I & E), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 01 day on 01-11-2014 along with pemission to remain out of headquarters from 01-11-2014 till 09-11-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chandel, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 171 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 21st November 2014

No. 634/L.G./2014/II-2-15/2007.—Smt. Vimla Singh Kapoor, the then District & Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur) is hereby, granted earned leave for 03 days from 29-09-2014 to 01-10-2014 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 27-09-2014 till before the Court hours of 07-10-2014 and earned leave for 02 days on 20-10-2014 & 21-10-2014 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 17-10-2014 till before the Court hours of 27-10-2014.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Kapoor, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 21st November 2014

No. 635/L.G./2014/II-2-07/2002.—Shri T. K. Jha, Judge, Family Court, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted commuted leave for 02 days on 20-10-2014 & 21-10-2014 and commuted leave for 03 days from 05-11-2014 to 07-11-2014.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jha, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 594 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN).